

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के सन्दर्भ में 17 बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचना
अध्याय-2
(मैनुअल-1)
संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य एवं कर्तव्य)

वर्ष 82 के पूर्व पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग एवं ग्राम्य अभियंत्रण संगठन लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत थे। वर्ष 82 में लोक निर्माण विभाग को प्रशासनिक दृष्टिकोण से तीन अलग-अलग विभागों यथा पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग एवं ग्राम्य अभियंत्रण संगठन में विभाजित किया गया। इस प्रकार इस वर्ष 1982 से पथ निर्माण विभाग अस्तित्व में है।

राज्य के उच्च पथों/पुलों तथा वृहद् जिला पथों/पुलों के निर्माण, मरम्मत एवं रख-रखाव का कार्य पथ निर्माण विभाग द्वारा सम्पादित होते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय उच्च पथों का निर्माण, मरम्मत एवं संधारण केन्द्र सरकार से प्राप्त कर स्वीकृति तथा निधि के अनुसार पथ निर्माण विभाग के द्वारा किया जाता है।

अन्य जिला पथों/ग्रामीण पथों का निर्माण, मरम्मत एवं संधारण ग्रामीण कार्य विभाग/स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन /जिला परिषद् द्वारा किया जाता है।

पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत पुलों/पथों के निर्माण कार्य तथा उनके रख-रखाव के लिए कई उपभागों को सृजन इस उद्देश्य से किया गया है ताकि मूल एवं संरक्षण कार्यों का कार्यान्वयन सुचारु रूप से समुचित नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के तहत हो।

पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत सम्प्रति निम्न उपभाग है जिसके प्रभारी मुख्य अभियंता होते हैं:-

1. उत्तर बिहार (यातायात) उपभाग दरभंगा-गंगा नदी के उत्तरी भाग में पड़नेवाले पथों/पुलों के रख-रखाव का दायित्व इस उपभाग पर है।
2. दक्षिण बिहार (यातायात) उपभाग, पटना-इस उपभाग के अन्तर्गत गंगा नदी के दक्षिणी भाग में पड़नेवाले पथों/पुलों के निर्माण, मरम्मत एवं रख-रखाव का कार्य किया जाता है।

3. राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग, पटना/यह उपभाग पूरे राज्य में अवस्थित सभी राष्ट्रीय उच्च पथों के निर्माण मरम्मत एवं रख-रखाव के लिए उत्तरदायी है तथा इसका कार्यक्षेत्र पूरा बिहार है।

4. केन्द्रीय निरूपण संगठन उपभाग, पटना।

पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत विशिष्ट एवं समुन्नत तकनीकी प्रावधान के अनुसार पथ एवं पुलों के निरूपण के लिए केन्द्रीय निरूपण संगठन उपभाग का सृजन किया गया है। इस उपभाग का मुख्य कार्य सभी मूल परियोजनाओं का संशोधन, अन्वेषण, विशिष्ट-निर्धारण एवं निरूपण है।

5. अग्रिम योजना उपभाग, पटना-नये पथों एवं पुल परियोजनाओं का प्रोजेक्ट अग्रिम रूप से बनाने के उद्देश्य से इस उपभाग का सृजन किया गया है ताकि किसी भी परियोजना की स्वीकृति के बाद उसके निरूपण आदि में अधिक विलम्ब न हो और विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अग्रिम सर्वेक्षण एवं प्राक्कलन तैयार कर रखा जाय ताकि आवश्यकतानुसार निधि उपलब्ध होते ही परियोजनाओं की प्रशासनिक एवं प्रावैधिक स्वीकृति यथाशीघ्र दी जा सके।

6. गंगा पुल परियोजना उपभाग, पटना-इस उपभाग का सृजन पटना के निकट गंगा नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण के लिए किया गया था जिसका कार्य सम्पन्न हो चुका है। इस उपभाग के द्वारा पटना-सहरसा मार्ग पर डुमरीघाट में कोशी नदी पर पुल तथा हाल ही में वर्ष 2001 में भागलपुर स्थित गंगा नदी पर उच्च स्तरीय पुल (विक्रमशीला सेतु) का निर्माण कराया गया है।

7. यांत्रिक उपभाग, पटना-पथ/पुलों के निर्माण कार्य में मशीनों की बढ़ती उपयोगिता की पृष्ठभूमि में पथ निर्माण विभाग में उपलब्ध मशीनों के संरक्षण एवं रख-रखाव के उद्देश्य से एक पृथक यांत्रिक उपभाग का सृजन वर्ष 83-84 में किया गया था। पथ निर्माण विभाग के भारी मशीनों एवं अन्य उपकरणों के रख-रखाव एवं कार्य में इस उपभाग का योगदान है। वर्तमान में हॉट मिक्स के परिचालन एवं रख-रखाव इस उपभाग का प्रमुख कार्य है।

8. अनुश्रवण उपभाग

पथ निर्माण विभाग के सभी उपभाग के कार्यकलापों की समय-समय पर समुचित समीक्षा के लिए मुख्य अभियंता के अधीनस्थ द्वारा उपभाग का सृजन किया गया है। यह उपभाग क्षेत्रीय कार्यालयों की भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य एवं प्रगति की अद्यतन सूचना की समीक्षा के लिए एक कम्प्यूटर सेल के साथ कार्यरत है जिसके माध्यम से प्रमंडलों को दिये गये आवंटन, खर्च पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाता है।

पथ निर्माण विभाग (मुख्यालय) बेली रोड, पटना-15 स्थित विश्वेश्वरैया भवन में है।

मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग का संगठनात्मक विवरण निम्न प्रकार है-

1. विभागीय मंत्री
2. आयुक्त एवं सचिव
3. अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त सह विशेष सचिव
4. अपर सचिव
5. संयुक्त सचिव
6. अभियंता-प्रमुख के सचिव (प्रावैधिक)
7. विशेष पदाधिकारी (यातायात)
8. निदेशक (क्रय एवं परिवहन)
9. उपनिदेशक (क्रय एवं परिवहन)
10. उप सचिव
11. अवर सचिव
12. प्रशाखा पदाधिकारी
13. सहायक
14. निजी सहायक
15. दिनचर्या लिपिक
16. प्रधान टंकक/टंकक
17. आदेशपाल।

मुख्यालय स्थित कार्यालय में 19 प्रशाखायें हैं-

क्र०	प्रशाखा का नाम	प्रशाखा को आवंटित कार्य
1.	प्रशाखा-1	(मुख्यालय) (1) अवर सचिव से प्रधान सचिव स्तर तक के पदाधिकारियों का स्थापना संबंधी कार्य। (2) कार्यपालक अभियंता (असैनिक) एवं कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) एवं उसके उपर अभियंता प्रमुख तक के पदों पर प्रोन्नति/स्थानान्तरण/सेवोत्तर लाभ एवं स्थापना संबंधी कार्य। (3) बिहारी तकनीकी सेवा के पदाधिकारियों को उप निदेशक के पद पर प्रोन्नति एवं इससे संबंधित स्थापना कार्य। (4) पदों का अवधि विस्तार एवं सृजन संबंधी कार्य। (5) प्रमंडलों का नामकरण एवं पुनर्गठन तथा कार्यक्षेत्र का निर्धारण कार्य। (6) बिहार राज्य पुल निर्माण निगम/बिहार स्टेट रोड डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन से संबंधित कार्य।
2.	प्रशाखा-2	(1) सहायक अभियंता (असैनिक) एवं (यांत्रिक) के पदों पर नियुक्ति एवं विभागीय संवर्ग आवंटन कार्य/सम्पुष्टि एवं अन्य स्थापना संबंधी कार्य। (2) बिहार तकनीकी सेवा के पदाधिकारियों को सहायक निदेशक के पद पर प्रोन्नति एवं इससे संबंधित स्थापना कार्य (3) कनीय अभियंता (असैनिक) एवं (यांत्रिक) से सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नति संबंधी कार्य। (4) सहायक अभियंता (असैनिक) एवं (यांत्रिक) से अभियंता प्रमुख तक के पदाधिकारियों को ACP योजना के अन्तर्गत लाभ संबंधी कार्य। (5) सहायक अभियंता (असैनिक) एवं (यांत्रिक) का सेवोत्तर लाभों की स्वीकृति संबंधी कार्य। (6) बिहार अभियंत्रण सेवा के पदाधिकारियों का सिविल लिस्ट एवं वरीयता सूची का प्रकाशन।
3.	प्रशाखा-3	(1) कनीय अभियंता (असैनिक) एवं कनीय अभियंता (यांत्रिक) की नियुक्ति/सम्पुष्टि/पदस्थापन एवं स्थानांतरण/वरीयता एवं अन्य स्थापना संबंधी कार्य। (2) कनीय अभियंता (असैनिक) एवं (यांत्रिक) को ACP योजना के अन्तर्गत लाभ संबंधी।

4.	प्रशाखा-4	(1) मुख्यालय के वर्ग-3, वर्ग-4 एवं प्रशाखा पदाधिकारियों का स्थापना/सेवोत्तर लाभ संबंधी कार्य। (2) लेखन सामग्री, बिजली सामग्री एवं अन्य सामग्री, टेबुल कुर्सी का क्रय, आपूर्ति एवं मरम्मत का कार्य। मुख्यालय स्थित कार्यालयों तथा उपकरणों का अन्य रख रखाव संबंधी कार्य। (3) मुख्यालय के दूरभाष/मोबाईल संयोजन, आवंटन तथा भुगतान संबंधी कार्य। (4) सभी संवर्ग के पदाधिकारी/कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति। (5) मुख्यालय में पदस्थापित पदाधिकारियों को कमरा एवं वाहन आवंटन एवं प्रवेश पत्र बनाने संबंधी कार्य।
5.	प्रशाखा-5	(1) क्षेत्रीय कार्यालयों के वर्ग-3 एवं 4 के कर्मचारियों का स्थापना/सेवोत्तर लाभों की स्वीकृति संबंधी कार्य। (2) क्षेत्रीय कार्यालयों के वर्ग-3 के प्रधान सहायक का स्थापना संबंधी कार्य। (3) दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों/कार्यभारित कर्मचारियों से संबंधी कार्य एवं इनके नियमित स्थापना में नियुक्ति संबंधी कार्य। (4) अवकाश रक्षित सहायक अभियंता/कनीय अभियंता का स्थापना संबंधी कार्य।
6.	प्रशाखा-6	(1) सभी संवर्ग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के चारित्री का संधारण। (2) विधान मंडलीय/संसदीय मामलों से संबंधी कार्य।
7.	प्रशाखा-7	(1) बिहार लोक निर्माण संहिता एवं निर्माण कार्य से संबंधित अन्य संहिता/नियम/निदेश एवं निर्माण कार्य से संबंधित मामले। (2) विभागीय कार्य प्रमंडलों के निविदा निष्पादन एवं अन्य संबंधी कार्य। (3) अस्थायी अग्रिम का समायोजन/निर्माण/मरम्मत कार्य से संबंधित न्यायालयीय वाद। (4) आन्तरिक वित्तीय सलाहकार संबंधित मामले।
8.	प्रशाखा-8	(1) संवेदकों का निबंधन एवं नवीकरण। (2) वित्तर (अंकेक्षण) विभाग से संबंधित मामले। (3) महालेखाकार का निरीक्षण प्रतिवेदन। (4) प्रारूप कंडिकाओं का उत्तर प्रेषण। (5) सिविल कंडिकाओं का उत्तर प्रेषण।
9.	प्रशाखा-9	(1) विभाग के अन्तर्गत गैर-योजना एवं योजना मद के कार्यों/योजनाओं का बजट/आवंटन/प्रत्यर्पण एवं विनियोग-लेखा संबंधी कार्य। (2) महालेखाकार/वित्त विभाग/वित्त आयोग से संबंधित कार्य। (3) प्रमंडलों के मासिक लेखा एवं इस संबंध में महालेखाकार की टिप्पणी संबंधी कार्य
10.	प्रशाखा-10	(1) योजना मद से कार्यान्वित कार्यों का कार्यक्रम सूत्रण एवं इनका स्वीकृति (2) भू-अर्जन संबंधी कार्य। (3) सीमा क्षेत्र विकास/अन्तर्राज्यीय सड़क सम्पर्क/विश्व बैंक योजनान्तर्गत संबंधी कार्य (4) बुद्धिस्त सर्कित संबंधी कार्य। (5) नक्सल प्रभावित क्षेत्र (LWE) की योजना संबंधी कार्य। (6) केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत कार्य।
11.	प्रशाखा-11	(1) पथों का अधिग्रहण संबंधी कार्य। (2) बन्दोबस्ती संबंधी कार्य। (3) मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना। (4) आर०ओ० बी०/राज्य उच्च पथ/राष्ट्रीय उच्च पथ को योजनाओं से संबंधित कार्य। (5) नाबार्ड संबंधी कार्य। (6) जन भागीदारी प्रणाली से संबंधित कार्य। (7) केन्द्र प्रायोजित अन्य कार्य (8) पथ की भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग संबंधित कार्य। (9) पथों के निर्माण/रख रखाव संबंधित नीतिगत मामलें।
12.	प्रशाखा-12	(1) विभागीय क्रय (बिटुमिन, यंत्र-संयंत्र एवं वाहन) (2) सी०ए०जी० कोषांग। (3) क्षेत्रीय कार्यालयों में मोबाइल, जेनरेटर, वाहन आदि संबंधित कार्य।
13.	प्रशाखा-13	(1) मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत पदस्थापित अभियंत्रण संवर्ग के पदाधिकारियों का निगरानी संबंधित कार्य।

14.	प्रशाखा-14	(1) ग्रामीण कार्य विभाग एवं भवन निर्माण विभाग में पदस्थापित अभियंत्रण संवर्ग के पदाधिकारियों का निगरानी संबंधी कार्य।
15.	प्रशाखा-29	(मुख्यालय) विभागीय न्यायिक मामला संबंधी सभी कार्य, रिट याचिका की प्रति/न्याय निर्णय न्यायालय से प्राप्त कर संबंधित प्रशाखाओं को उपलब्ध कराना, कोर्ट केस से संबंधित पंजी का संधारण एवं अनुश्रवण संबंधित कार्य।
16.	प्रशाखा-30 (लेखा शाखा)	(1) मुख्यालय के सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों का लेखा एवं वेतनादि का भुगतान से संबंधित सभी कार्य। (2) विभागीय स्तर पर क्रय किये जाने वाले कार्य का भुगतान संबंधी कार्य। (3) विभागीय पदाधिकारियों का मुकदमा विपत्र एवं यात्रा विपत्र।
17.	प्रशाखा-31	जन शिकायत एवं हेल्प लाईन से संबंधित कार्य का निष्पादन एवं अनुश्रवण संबंधित कार्य।
18.	प्रशाखा-32	(1) सूचना का अधिकार से संबंधित कार्य। (2) पथ निर्माण विभाग के पदाधिकारियों/कर्म० के सम्पत्ति व्योरा संकलन एवं संधारण संबंधी कार्य।
19.	प्रशाखा-33	उड़नदस्ता प्रमंडल से संबंधित कार्य।

9. पथ निर्माण विभाग द्वारा संधारित पूरे बिहार अर्थात् उत्तर बिहार (या०) उपभाग दरभंगा/दक्षिण बिहार (या०) उपभाग, पटना के पथों की मरम्मत, मजबूतीकरण आदि कार्य एवं पुलों के निर्माण एवं मरम्मत से सम्बन्धित प्राक्कलनों के आलोक में प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई कार्य/पथों का अधिग्रहण/पथों के लिए भू अर्जन का मुआवजा, पथ निर्माण विभाग के पथों के साइड में पेट्रोल पम्प की स्थापना/योजना में नावार्ड, केन्द्रीय सड़क निधि योजना समविकास योजना अन्तर्राज्यिय सड़क सम्पर्क/योजना एवं गैर योजना के पथों की मरम्मत/रेलवे ऊपरी पुल एवं प्लाई ओवर में राज्य सरकार की भागीदारी।

इसके अतिरिक्त पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत तीन कोषांग गठित है:-

1. सी० ए० जी० कोषांग:- पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 90-97 के बीच बिटुमेन प्रकरण पर दुर्विनियोग/लेखा असमायोजन/गबन आदि के बिन्दु पर सी० ए० जी० द्वारा प्रतिकूल प्रतिवेदन प्रतिवेदित करने के बिन्दु पर विभाग स्तर से जाँच करने के लिए निमित्त सी० ए० जी० कोषांग का गठन राज्यादेश सं० 3313 दिनांक 26.05.2001 द्वारा किया गया है।

सी० ए० जी० कोषांग के अधीन एक अपर सचिव, (भा० प्र० सेवा), दो अपर समाहर्ता स्तर के विशेष पदाधिकारी सह उपसचिव, एक प्रशाखा पदाधिकारी एवं दो सहायक कार्यरत है।

इन पदाधिकारियों का कार्य सी० ए० जी० प्रभावित प्रमंडल में पदस्थापित रहे पदाधिकारियों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्राप्त कर कार्य० अभि० का मंतव्य प्राप्त किया जाता है। उक्त मंतव्य की समीक्षा अपर सचिव स्तर पर गठित समिति में की जाती है, जिसकी अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार का आदेश प्राप्त कर यथोचित कार्रवाई की जाती है। इन्हें प्रशासकीय अधिकार प्राप्त है।

2. जन शिकायत कोषांग - जन साधारण की शिकायतों को सुनने तथा उसके निराकरण के निमित्त विभागीय कार्यालय आदेश सं०-297 सह पठित ज्ञापांक-10409 (एस०) दिनांक 03.12.03 द्वारा पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत जन शिकायत कोषांग गठित है।

विभागीय जन शिकायत का वरीय प्रभार श्री राज किशोर प्रसाद, संयुक्त सचिव (प्रब० कोषांग) को सौंपा गया है।

3. सूचना कोषांग :-

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में निहित प्रावधान के आलोक में पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत सूचना कोषांग गठित है। श्री शैलेन्द्र कुमार, उप निदेशक (क्रय एवं परिवहन) को विभाग स्तर से लोक सूचना पदाधिकारी नामित किया गया है। इसके अलावे सूचना कोषांग में एक प्रशाखा पदाधिकारी एवं एक सहायक तथा एक आदेशपाल को अपने कार्य का अतिरिक्त कार्य करने का आदेश दिया गया है।

श्री श्यामानन्द झा, संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना सं० 8360(एस०) दिनांक- 02.09.2014 के माध्यम से दिनांक- 02.09.2014 के प्रभाव से अपीलीय प्राधिकार नामित किया गया है।

कार्यालय के खुलने का समय - 9:30 A.M.

कार्यालय बंद होने का समय - 6:00 P.M.

अध्याय-3

(मैनुअल-2)

3.1 विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियों एवं कर्तव्य

आयुक्त एवं सचिव :- विभागाध्यक्ष

पथ निर्माण विभाग की सारी प्रशासनिक शक्तियाँ निहित है।

अभियंता प्रमुख :- विभाग के प्रशासनिक और तकनीकी प्रधान।

सभी प्रकार के तकनीकी विषयों में ये सरकार के जिम्मेवार सलाहकार भी है।

मुख्य अभियंता :- प्रभारी उपभाग के प्रशासनिक और तकनीकी प्रधान।

उपभाग के कुशल कार्य संचालन की जिम्मेवारी तथा सरकार के प्रति जवाबदेह।

प्रशासनिक शक्तियाँ :- स्थापना के सम्बन्ध में कोई भी निर्णय।

अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता तथा सहायक अभियंता को हटाने तथा स्थानांतरित एवं पदस्थापित करने के संबंध में सरकार को सिफारिश करना।

वर्ग-2, 3 एवं 4 के कर्मचारियों/पदाधिकारी के अवकाश की स्वीकृति।

कार्यपालक लिपिक वर्गीय तथा अराजपत्रित स्टॉफ को एक सर्किल से दूसरे सर्किल में स्थानांतरित करने की पूर्णशक्ति।

अपने अधीनस्थ सर्किल कार्यालय का हर दो वर्ष में एक बार तथा प्रमंडल का हर तीन वर्ष में एक बार निरीक्षण करना तथा निरीक्षण प्रतिवेदन से सरकार को अवगत कराना।

वित्तीय शक्तियाँ :- लोक निर्माण संहिता के अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय शक्तियाँ।

लेखा-पालन से सम्बन्धित विषयों पर महालेखाकार से सीधे सम्पर्क करना।

वर्ष के लिए प्राप्त आवंटित राशि के सदुपयोग पर नजर रखना।

अधीक्षण अभियंता

1. प्रत्येक सर्किल का प्रशासनिक प्रमुख जो मुख्य अभियंता के प्रति उत्तरदायी होता है।

सर्किल के भीतर विभिन्न निर्माणों की स्थिति का निरीक्षण करना।

प्रशासनिक शक्तियाँ-अपने अधीनस्थ सर्किल से कार्यपालक अभियंता और सहायक अभियंता के स्थानान्तरण हेतु मुख्य अभियंता से सिफारिश करना।

सर्किल में पदस्थापित अराजपत्रित कर्मचारियों की स्थापना सम्बन्धी कार्य।

वर्ष में 1 बार हरेक प्रमंडल कार्यालय का 2 वर्ष में एक बार हरेक अनुमंडल कार्यालय का तथा हर 5 वर्ष पर 1 बार प्रशाखा कार्यालय का निरीक्षण करना तथा निरीक्षण प्रतिवेदन मुख्य अभियंता को समर्पित करना।

प्रत्येक काम के लिए उचित प्रशासनिक अनुमोदन, सक्षम पदाधिकारी द्वारा मंजूर प्राक्कलन तथा निधि आवंटन प्राप्त है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में सुनिश्चित हो लेना।

वित्तीय शक्तियाँ-लोक निर्माण संहिता के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियाँ।

कार्यपालक अभियंता

प्रमंडल का प्रशासनिक प्रमुख जो प्रमंडल के भीतर सभी निर्माणों के निष्पादन और प्रबंध के लिए अधीक्षण अभियंता के प्रति उत्तरदायी होता है।

प्रशासनिक शक्तियाँ-अपने प्रमंडल से सहायक अभियंता और अपर अभियंताओं के स्थानांतरण के लिए सम्बन्ध अधीक्षण अभियंता के पास सिफारिश भेजना।

प्रमंडल में पदस्थापित वर्ग-3 एवं 4 के कर्मचारियों की स्थापना सम्बन्धी कार्य।

प्रत्येक अनुमंडल कार्यालय का वर्ष में 1 बार तथा प्रत्येक प्रशाखा कार्यालय का 2 वर्ष में 1 बार निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन अधीक्षण अभियंता को देना।

मासिक प्रमंडलीय लेखों को नियमित रूप से महालेखाकार को भेजना।

वित्तीय शक्तियाँ-लोक निर्माण संहिता के अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय शक्तियाँ।

अध्याय-4

(मैनुअल-3)

कृत्यों के निर्वाहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

4.1 लोक निर्माण संहिता खण्ड-I एवं खण्ड-II के प्रावधानों एवं नियमों के अनुसार पथ निर्माण विभाग के कृत्यों का निर्वाहन होता है।

अध्याय-5

(मैनुअल-4)

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जन प्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनायी गयी व्यवस्था का विवरण।

विभाग में कार्याधीन योजनाओं एवं विभाग द्वारा सम्पादित कार्य की समीक्षा करने/सुचारु रूप से कार्यों के सम्पादन हेतु विभागीय प्रशासन एवं उसके ढाँचे में सुधार के लिए सुझाव देने/कार्य की प्रगति को तीव्र करने एवं प्रशासन में मितव्ययिता लाने के निमित्त विभाग द्वारा अपनायी गयी सामान्य नीति और कार्यक्रम पर परामर्श देने/भविष्य में विकास कार्य के लिए योजना तैयार करने हेतु संसदीय कार्य विभाग, बिहार के ज्ञाप सं०-सं०-का०(पी० ए०-1039/77-700 दि० 11.10.85) द्वारा प्रत्येक विभाग को परामर्शदातृ समिति गठित करने का निदेश है।

वर्तमान में पद्रहवीं विधानसभा का गठन हो चुका है। संसदीय कार्य विभाग द्वारा नयी परामर्शदातृ समिति के गठन सम्बन्धी आदेश निर्गत होने के पश्चात् माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग की अध्यक्षता में नयी परामर्शदातृ समिति का गठन कर दिया जायेगा।

अध्याय-6

(मैनुअल-5)

लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों (Categories) के अनुसार विवरण :-

बिहार अभियंता सेवा वर्ग-I, II, III के पदाधिकारियों का सेवा इतिहास

बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-I, II, III के पदाधिकारियों की नियुक्ति पत्र/वरीयता सूची/चारित्री/आंतरिक निगरानी प्रतिवेदन इत्यादि।

मुख्यालय स्थित वर्ग-3 एवं 4 के कर्मचारियों की सेवा/पुस्त/चारित्री/आंतरिक निगरानी प्रतिवेदन

प्रशाखा पदाधिकारी की सेवा पुस्त/चारित्री/आंतरिक निगरानी प्रतिवेदन।

बजट से सम्बन्धित अभिलेख।

वर्ग-II एवं उससे उपर के संवेदकों का निबंधन से सम्बन्धित कागजात।

अध्याय-7

(मैनुअल-6)

बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० है जिसकी स्थापना वर्ष 75 में 25.000 लाख से अधिक लागत के पुलों के निर्माण के लिए की गयी थी। इसके अतिरिक्त पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉ० लि० भी है, जिसकी स्थापना राज्य के राजकीय पथों (SH) एवं आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए वर्ष 2009 में किया गया है,

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० का मुख्यालय सरदार पटेल मार्ग में अवस्थित है एवं BSRDC का मुख्यालय आर० सी० डी० मैकेनिकल वर्क्स शॉप कैम्पस, शेखपुरा, पटना में अवस्थित है।

वर्तमान में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० के द्वारा कई सड़क पुल एवं रेलवे उपरी पुल एवं पहुँच पथों के निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं।

अध्याय-8
(मैनुअल-7)
लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियाँ

पथ निर्माण विभाग (मुख्यालय) में लोक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्नलिखित पदाधिकारियों को लोक सूचना पदाधिकारी एवं अपीलीय पदाधिकारी नामित किया गया है-

1. श्री शैलेन्द्र कुमार
उप निदेशक (क्रय एवं परिवहन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(लोक सूचना पदाधिकारी) (मो०-919470488392)

2. श्री श्यामानन्द झा
संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(अपीलीय प्राधिकार)

अध्याय-9
(मैनुअल-8)
निर्णय लेने की प्रक्रिया

सचिवालय अनुदेश के अनुसार किसी विषय से सम्बन्धित संचिका सर्वप्रथम प्रशाखा में सहायक के स्तर से प्रशाखा पदाधिकारी को उपस्थापित होती है।

प्रशाखा पदाधिकारी अपनी टिप्पणी एवं प्रस्ताव के साथ से अवर सचिव/उपसचिव को पृष्ठांकित करते हैं। उप सचिव के माध्यम से संचिका संयुक्त सचिव/अपर सचिव के समक्ष उपस्थापित होती है। संयुक्त सचिव/अपर सचिव के स्तर से संचिका आयुक्त एवं सचिव के आदेशार्थ भेजी जाती है।

आवश्यकतानुसार (कार्यपालिका नियमावली के तहत) संचिका आयुक्त एवं सचिव द्वारा मंत्री/मुख्यमंत्री के आदेशार्थ भेजी जाती है।

अध्याय-10

(मैनुअल-9)

माननीय मंत्री/सचिव/मुख्यालय स्थित पदाधिकारियों का दूरभाष

क्र०सं०		कार्यालय	आवास	मोबाईल संख्या
1	2	3	4	5
1.	मंत्री, पथ निर्माण विभाग	2546115		9470001251
2.	सचिव	2233362		
3.	अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव	2546447		9470001253
4.	अपर सचिव			9470001331
5.	संयुक्त सचिव (प्र०को०)			9470001353
6.	विशेष पदाधिकारी (यातायात)	2231548		9470001266
7.	प्रभारी विधि कोषांग			9470001294
8.	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, लिमिटेड	2217668		9431821539

पथ निर्माण विभाग, उत्तर बिहार (यातायात) उपभाग, दरभंगा के सभी पदाधिकारियों के दूरभाष संख्य

क्र०सं०	कार्यालय का नाम	पदाधिकारी का नाम	दूरभाष संख्या	मोबाईल नं०
1	मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार (या०) उपभाग, दरभंगा।	श्री कृष्ण चन्द्र मिश्र	06272-241098	9470001351
2	अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, दरभंगा।	श्री हरेराम सिंह	06272-241098	9470001341
3	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, दरभंगा।	श्री ओम प्रकाश गुप्ता	06272-240634	9470001285
4	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मधुबनी।	श्री सुरेन्द्र यादव,	06276-222418	9470001287
5	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, समस्तीपुर।	श्री लाल मोहन प्रजापति,	06274-222073	9470001288
6	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बेगुसराय।	श्री उमाकान्त रजक,	06243-242132	9470001286
7	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बेनीपुर।	श्री राम स्वारथ सिंह,		9470001333
8	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, रोसड़ा।	श्री ओम प्रकाश सिंह,		9470001309
9	कार्यपालक अभियंता सम्प्रति प्रभारी अधीक्षण अभियंता, उत्तर बिहार पथ अंचल, मुजफ्फरपुर।	श्री श्यामानन्द पाण्डेय	0621-2210309	9470001340
10	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल-1 मुजफ्फरपुर।	श्री योगेन्द्र प्रसाद सिंह	0621-2226316	9470001292
11	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल-2, मुजफ्फरपुर।	श्री राजीव रंजन प्रसाद	0612-2214637	9470001293
12	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सीतामढ़ी।	श्री रमा शंकर प्रसाद	06226-250375	9470488395
13	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल शिवहर।	श्री रवि प्रकाश लोकेश		8544410024
14	कार्य०अभि० सम्प्रति प्रभारी अधीक्षण अभियंता, सारण पथ अंचल, हाजीपुर।	श्री अमरेन्द्र भूषण सिंह	06224-273370	9470001339

15	कार्यपालक अभियंता, वैशाली पथ प्रमंडल, हाजीपुर।	श्री कुमुद कुमार सिंह	06224-272331	9470001306
16	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, छपरा।	श्री प्रभाकर नारायण सिंह	06152-237665	9470001304
17	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सीवान।	श्री सुनील कुमार मॉझी	06154-22572,	9470001307
18	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, गोपालगंज।	श्री भगवान राम	06156-224068,	9470001305
19	कार्यपालक अभियंता सम्प्रति प्रभारी अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, पूर्णिया।	श्री प्रेम नन्दन ठाकुर	06454-243669	9470001342
20	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पूर्णिया।	श्री प्रभा शंकर कोकिल	06454-242532,	9470001297
21	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, अररिया।	श्री सैयद सिकन्दर आजम	06453-224580	9470001296
22	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, कटिहार।	श्री सुब्रत सरकार	06452-223120	9470001298
23	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, किशनगंज।	श्री उदय सिंह	06456-222321,	9470001299
24	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बारसोई।	श्री राम भरत प्रसाद		9470001334
25	कार्यपालक अभियंता सम्प्रति प्रभारी अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, सहरसा।	श्री चितरंजन ओझा	06478-223448	9470001343
26	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सहरसा।	श्री रामावतार साह	06478-226700	9470001302
27	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सुपौल।	श्री अवधेश शर्मा	06473-224152	9470001303
28	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, खगड़िया।	रिक्त (अतिरिक्त प्रभार श्री रण विजय राम)	06244-226374	9470001300
29	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मधेपुरा।	श्री राजेश कुमार	06476-222016	9470001301
30	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पिपरा।	श्री प्रदीप कुमार		9470001329
31	कार्य०अभि० सम्प्रति प्रभारी अधी०अभि०, पथ अंचल, मोतिहारी।	रिक्त (अतिरिक्त प्रभार श्री श्यामनन्द पाण्डेय)		9470001340
32	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मोतिहारी।	श्री लक्ष्मी नारायण सिंह	06252-261510	9470001291
33	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बेतिया।	श्री राजेन्द्र प्रसाद राजन,	06254-232517	9470001289

राष्ट्रीय उच्च पथ

क्र०	कार्यालय का नाम	पदाधिकारी का नाम	कार्यालय	आवास	मोबाईल
1	मुख्य अभियंता, रा०उ०प० उपभाग, बिहार, पटना।	श्री केदार बैठा	0612-2231592		9470001352
2	कार्य०अभि० सम्प्रति प्रभारी अधीक्षण अभियंता, रा०उ०पथ कार्य अंचल, पटना।	श्री नवल किशोर नारायण सिन्हा	0612-2234508		9470001344
3	कार्यपालक अभियंता, रा०उ०पथ प्रमंडल, पटना।	श्री सदानन्द चौधरी	0612-2290290		9470001308

4	कार्यपालक अभियंता, रा०उ०पथ प्रमंडल, गुलजारबाग।	रिक्त,	0612-2206297		9470001312
5	कार्यपालक अभियंता, रा०उ०पथ प्रमंडल संख्या-1, बिहारशरीफ	श्री इस्तियाज अहमद	06112-230427		9470001310
6	कार्यपालक अभियंता, रा०उ०पथ प्रमंडल संख्या-2, बिहारशरीफ।	श्री शशि भूषण कुमार चौधरी	06112-230664		9470001311
7	अधीक्षण अभियंता, रा०उ०पथ अंचल, डेहरी ऑन-सोन।	श्री शिवेन्द्र पासी			9470001349
8	कार्यपालक अभियंता, रा०उ०पथ प्रमंडल, औरंगाबाद, एट पटना।	श्री शहाब आलम	06186-226067		9470001322
9	कार्यपालक अभियंता, रा०उ०पथ प्रमंडल, डेहरी ऑन-सोन एट, गया।	रिक्त, (अतिरिक्त प्रभार श्री सत्तार खलीफा)			9470001323
10	कार्य०अभि० सम्प्रति प्रभारी अधीक्षण अभियंता, रा०उ०पथ अंचल, मुजफ्फरपुर।	श्री सुनील कुमार	0621-2234006		9470001345
11	कार्यपालक अभियंता, रा०उ०पथ प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।	रिक्त (अतिरिक्त प्रभार श्री योगेन्द्र प्रसाद सिंह)	0621-2225875		9470001328
12	कार्यपालक अभियंता, छपरा।	रिक्त(अतिरिक्त प्रभार श्री प्रभाकर नारायण सिंह)	06152-244627		9470001325
13	कार्यपालक अभियंता, रा०उ०पथ प्रमंडल, मोतिहारी।	श्री अरविन्द कुमार सिन्हा	06252-223214		9470001327
14	कार्य०अभि० सम्प्रति प्रभारी अधीक्षण अभियंता, रा०उ०पथ अंचल, पूर्णियाँ।	श्री विजय कुमार मिश्र	06454-242779		9470001347
15	कार्यपालक अभियंता, रा०उ०पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	श्री उद्दानन्द विश्वास	06454-243635		9470001320
16	कार्यपालक अभियंता, रा०उ०पथ प्रमंडल, मधेपुरा।	श्री विजय कुमार	06476-233529		9470001321
17	कार्यपालक अभियंता, रा०उ०पथ प्रमंडल, अररिया।	रिक्त (अतिरिक्त प्रभार श्री उदय सिंह)			9470001326
18	कार्य०अभि० सम्प्रति प्रभारी अधीक्षण अभियंता, रा०उ०पथ अंचल, भागलपुर।	श्री प्रेम चन्द्र राय	0641-2400114		9470001348
19	कार्यपालक अभियंता, रा०उ०पथ प्रमंडल, भागलपुर।	रिक्त (अतिरिक्त प्रभार श्री शैलेन्द्र सिंह)	0641-2611843		9470001313
20	कार्यपालक अभियंता, रा०उ०पथ प्रमंडल, लखीसराय एट-मुंगेर।	रिक्त (अतिरिक्त प्रभार श्री जे०पी० सिंह कश्यप)	06344-225322		9470001314
21	कार्यपालक अभियंता, रा०उ०पथ प्रमंडल, खगड़िया।	श्री रण विजय राम	06244-226514		9470001315
22	कार्य०अभि० सम्प्रति प्रभारी अधीक्षण अभियंता, रा०उ०पथ अंचल, दरभंगा।	श्री नकीब आलम	06272-241098		9470488393

23	कार्यपालक अभियंता, रा०उ०पथ प्रमंडल, सीतामढ़ी।	श्री आफताबुर रहमान	06226-253955		9470001317
24	कार्यपालक अभियंता, रा०उ०पथ प्रमंडल, जयनगर	रिक्त (अतिरिक्त प्रभार श्री सुरेन्द्र यादव)	06246-222052		9470001318

पथ निर्माण विभाग दक्षिण बिहार (यातायात) उपभाग, पटना के सभी पदाधिकारियों के दूरभाष संख्या

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	पदाधिकारी का नाम	दूरभाष संख्या	मोबाईल नं०
1.	मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या०) उपभाग, पटना।	श्री भवानी नन्दन	0612-2231341	9470001350
2	अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, पटना।	श्री केदार सिंह	0612-2222755	9470001335
3.	कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी, पथ प्रमंडल, पटना।	श्री चन्द्रमोहन कुमार मिश्रा	0612-2226077	9470001277
4.	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल पटना सिटी	श्री सुरेश प्रसाद सिंह	0612-2631698	9470001278
5.	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पटना पश्चिम।	श्री सत्येन्द्र सिंह	0612-2205971	9470001279
6.	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ।	श्री बी०के० ओझा	06112-225279	9470001280
7	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, हिलसा।	रिक्त (अतिरिक्त प्रभार श्री ब्रज कुमार ओझा)		9470001330
8	कार्य०अभि० सम्प्रति प्रभारी अधीक्षण अभियंता, मगध पथ अंचल, गया।	श्री राज कुमार	0631-2222995	9470001336
9	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या-1, गया।	श्री राजेश कुमार मिश्रा	0631-2220837,	9470001282
10	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या-1, औरंगाबाद।	श्री श्यामा शरण तिवारी	06186-226028	9470001281
11	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, नवादा।	श्री अरुण कुमार	06324-212769	9470001283
12	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, जहानाबाद।	श्री अमरनाथ पाठक	06114-223588	9470001284
13	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, शेरघाटी।	श्री सत्तार खलीफा		9470001332
14	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, अरवल।	रिक्त (अतिरिक्त प्रभार श्री अमरनाथ पाठक)		9470001284
15	कार्य०अभि० सम्प्रति प्रभारी अधीक्षण अभियंता, भोजपुर पथ अंचल, आरा।	श्री राकेश कुमार चौधरी	06182-239176	9470001337
16	कार्यपालक अभियंता, शाहाबाद पथ प्रमंडल, आरा।	श्री उमेश कुमार	06182-239804	9470001273
17	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बक्सर।	श्री अनिल कुमार सिन्हा	06183-222161	9470001274

18	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, डेहरी ऑन-सोन।	श्री भोगेन्द्र मंडल	06184-250032	9470001276
19	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, भभुआ।	श्री मनोरंजन कुमार पाण्डेय	06189-223925,	9470001275
20	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, कोचस।	रिक्त (अतिरिक्त प्रभार श्री भुगेन्द्र मंडल)		9470001324
21	अधीक्षण अभियंता, पूर्व बिहार पथ अंचल, भागलपुर।	रिक्त	0641-2420094	9470001338
22	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, भागलपुर।	श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह	0641-2420220	9470001268
33	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, धौरेया।	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद सिन्हा		9939596017
24	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बांका।	श्री विनय कुमार	06424-233157	9470001267
25	कार्योअभि० सम्प्रति प्रभारी अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मुंगेर।	श्री सुनीलधारी प्रसाद सिंह		8544410018
26	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मुंगेर।	श्री नवल किशोर शरण	06344-228336	9470001271
27	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, शेखपुरा।	श्री इम्तियाज अहमद	06341-223601	9470001272
28	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, जमुई।	रिक्त (अतिरिक्त प्रभार श्री विनय कुमार)	06345-225033	9470001269
29	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, लखीसराय	श्री जर्नादन प्रसाद सिंह कश्यप	06346-233770	9470001270

अध्याय-11 (मैनुअल-10)

पथ निर्माण विभाग (मुख्यालय) के अन्तर्गत कार्यरत पदाधिकारी/कर्मचारी (पदनाम से) एवं वेतनमान

क्र०सं०	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	वेतनमान
1	2	3	4	5
1	प्रधान सचिव/सचिव (भा०प्र०से०)	1	1	37,400-67,000 / -
2	संयुक्त सचिव/अपर सचिव/विशेष सचिव (भा०प्र०से०) CAG कोषांग	1	0	37,400-67,000 / -
3	अपर सचिव/विशेष सचिव (बि०प्र०से०)	1	1	37,400-67,000 / -
4	विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-उप सचिव (CAG कोषांग)	2	1	37400-67,000 / -
5	संयुक्त सचिव (बि०प्र०से०)	1	1	37400-67,000 / -
6	विशेष पदाधिकारी-सह-संयुक्त सचिव	2	2	37400-67,000 / -
7	संयुक्त निदेशक/संयुक्त सचिव (बि०सचि०से०)	1	1	37400-67,000 / -
8	उप सचिव (बि०सचि०से०)	2	2	37,400-67,000 / -
9	अवर सचिव (ले०) बि०स०से०	1	1	15600-39,100 / -
10	अवर सचिव (मु०) बि०स०से०	3	3	15,600-39,100 / -
11	प्रधान सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव	1	1	15600-39,100 / -
12	आप्त सचिव	4	3	15600-39,100 / -
13	निजी सहायक	5	2	9,300-34800 / -
14	आशुलिपिक	14	0	5,200-20,200 / -
15	मुख्य अभियंता (अनुश्रवण)	1	0	37,400-67,000 / -
16	अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण)	2	2	37,400-67,000 / -
17	कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण)	2	2	15,600-39,100 / -
18	सहायक अभियंता (अनुश्रवण)	7	5	15,600-39,100 / -
19	अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव	1	1	37,400-67,000 / -
20	अभियंता प्रमुख के सचिव (प्रा०)	1	0	37,400-67,000 / -
21	विशेष पदाधिकारी (या०)	1	1	37,400-67,000 / -
22	विशेष पदाधिकारी (या०) के त०स०	1	1	37,400-67,000 / -
23	निदेशक (क्रय एवं परिवहन)	1	0	37,400-67,000 / -
24	उपनिदेशक (क्रय एवं परिवहन)	1	1	15,600-39,100 / -
25	संयुक्त सचिव (प्र०को०)	1	0	37,400-67,000 / -
26	उप सचिव (प्र०को०)	1	1	37,400-67,000 / -

क्र०सं०	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	वेतनमान
1	2	3	4	5
27	अवर सचिव (प्र०को०)	2	2	15,600—39,100 / —
28	सहायक अभियंता (अवकाश रक्षित)	12	12	15,600—39,100 / —
29	कनीय अभियंता (अवकाश रक्षित)	17	4	9,300—34,800 / —
30	प्रशाखा पदाधिकारी	14	12	13,600—39,100 / —
31	सहायक	64	59	9,300—34,800 / —
32	रोकड़पाल	1	1	9,300—34,800 / —
33	योजना पदाधिकारी	1	0	15,600—39,100 / —
34	अवर योजना पदाधिकारी	2	0	9,300—34,800 / —
35	उच्च वर्गीय लिपिक	14	14	9,300—34,800 / —
36	वस्तुविद प्रारूपक	1	0	9,300—34,800 / —
37	प्रारूपक	13	0	9,300—34,800 / —
38	अनुरेखक	13	5	5,200—20,200 / —
39	निम्नवर्गीय लिपिक	17	17	5,200—20,200 / —
40	नीलमुद्रक	4	3	5,200—20,200 / —
41	ट्रेजरी सरकार	1	1	5,200—20,200 / —
42	अभिलेखवाह	3	2	5,200—20,200 / —
43	दफतरी	1	1	5,200—20,200 / —
44	आदेशपाल	52	51	5,200—20,200 / —
45	स्वीपर	2	1	5,200—20,200 / —
46	फरास	2	2	5,200—20,200 / —
47	पानी पाड़े	1	1	5,200—20,200 / —

अध्याय-12
(मैनुअल-11)

वित्तीय वर्ष 2014-15 का योजना बजट उद्घ्वय -

क्र. सं०	कार्यक्रम का नाम	अद्यतन बजट उपबंध (करोड़ रु०)
राज्य योजना		
1.	क्षमता विकास (वाह्य सम्पोषित योजना)	4.36
2.	मशीने एवं उपस्कर	0.50
3.	राज्य योजना पुल प्रक्षेत्र	621.31
4.	नाबार्ड ऋण योजना	1275.52
5.	मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना	400.00
6.	राज्य योजना सड़क प्रक्षेत्र	1745.00
7.	अनु० जाति के लिये घटक योजना प्रक्षेत्र	400.00
8.	केन्द्रीय सड़क निधि (केन्द्रांश)	100.00
9.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	350.00
10.	ए०डी०बी० (वाह्य सम्पोषित योजना) (राज्य घटक)	99.46
11.	भारत-नेपाल सीमा सड़क	224.00
12.	प्रशिक्षण एवं शोध	0.50
13.	केन्द्रीय सड़क निधि (राज्यांश)	3.50
14.	सड़कें एवं पुलें	70.85
✓	योग	5295.00

अध्याय-13
(मैनुअल-12)

अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

लोक निर्माणा संहिता खण्ड- I एवं खण्ड- II के प्रावधानों एवं नियमों के अनुसार पथ निर्माण विभाग के कृत्यों की निर्वाहन होता है। विभाग में कार्यों के क्रियान्वयन हेतु 25.00 लाख रु० से ऊपर की निविदा E-tendering के माध्यम से प्राप्त की जाती है ताकि निविदा निष्पादन में पूर्ण पारदर्शिता बरती जा सके। 25.00 लाख रु० से नीचे की निविदा पारंपरिक रीति से प्राप्त की जाती है। कार्यों का कार्यान्वयन हेतु मुख्यतः दो पद्धति अपनायी जा रही है जिसमें प्रथम EPC (Engineering Procurement Contract) एवं द्वितीय PPP (Public Private Partnership) है।

अध्याय-14
(मैनुअल-13)

रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरणी

अध्याय-15
(मैनुअल-14)

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम

पथ निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों के निर्वहन का मुख्य आधार लोक निर्माण संहिता है। इसके अतिरिक्त बिहार सेवा संहिता, सचिवालय अनुदेश, बिहार पेंशन नियमावली, बिहार वित्तिय नियमावली, बिहार कोषागार संहिता, कार्यपालिका नियमावली बिहार यात्रा भत्ता नियमावली तथा समय-समय पर राज्य सरकार के स्तर से समय-समय पर निर्गत अधिसूचना/राज्यादेश के आधार पर कार्य किये जाते हैं।

अध्याय-16
(मैनुअल-15)
इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनायें ।

NIC के द्वारा पथ निर्माण विभाग के वेबसाईट Maintain किया जा रहा है ।

अध्याय-17
(मैनुअल-16)

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सूचनाओं का विवरण, अधिसूचना, आदेश, परिपत्र एवं अनुदेश विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है ।

अध्याय-18
(मैनुअल-17)